कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

(कॉलोनी सेल विभाग)

E-mail: colonycell@gmail.com

क्रमांक/3183/कॉलोनी सेल/2023 दिनांक 12/05/23

प्रति,

मेसर्स अग्रवाल रियल इन्फ्रा एलएलपी तर्फे भागीदार श्री तपन पिता श्री विनोद कुमार अग्रवाल, पताः– अग्रवाल हाऊस, द्वितीय मंजिल, 05, यशवंत कॉलोनी, वाय.एन. रोड़, जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषयः– ग्राम मायाखेडी, तहसील कनाडिया जिला, इन्दौर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 140/1/1/1, 140/1/2, 140/2/4, 140/2/5, 140/2/6, 141/1/1, 141/1/2/1, 142/2, 142/3/2, 142/4, 144/2, कुल रकबा 4.655 हेक्टेयर (46550.00 वर्गमीटर) मे से नेट स्कीम एरिया 42174.82 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (EMERALD GARDENIA) उपयोग की विकास अनुमति बाबद्।

संदर्भः– आपका आवेदन आवक क्रमांक 1086 दिनांक 24/03/2023 एवं पत्र आवक क्रमांक 1424 दिनांक 21/04/2023 तथा पत्र आवक क्रमांक 1561 दिनांक 02/05/2023 एवं पत्र आवक क्रमांक 1613 दिनांक 08/05/2023 तथा पत्र आवक क्रमांक 1676 दिनांक 11/05/2023 एवं पत्र आवक क्रमांक 1677 दिनांक 11/05/2023 तथा पत्र आवक क्रमांक 1708 दिनांक 12/05/2023 के क्रम में।

आवेदक/आपको निम्नलिखित शासकीय विभागों से अनापत्ति/अनुमतियां प्राप्त है :–

1. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के उपबंधो के अधीन जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक MP/UADD/BP/1278/2023 दिनांक 14/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30(1)(ख) तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 27(1) के प्रावधानो अनुसार अभिन्यास पत्र क्रमांक/आयएनडीएलपी–020123007 ऑनलाईन दिनांक 01/03/2023 से आवासीय भूखण्डीय विकास (EMERALD GARDENIA) उपयोग हेतु अनुमोदित किया गया है एवं पत्र क्रमांक/आयएनडीएलपी–020123007/नग्रानि/2023 इन्दौर ऑनलाईन दिनांक 09/05/2023 से अभिमत दिया गया है, कि "मायाखेडी, तहसील कनाड़िया, जिला इन्दौर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 140/1/1/1, 140/1/2, 140/2/4, 104/2/5, 140/2/6, 141/1/1, 141/1/2/1, 142/2, 142/3/2, 142/4, 144/2 कुल रकबा 4.655 हेक्टेयर में से नेट प्लॉनिंग एरिया 42174.82 वर्गमीटर भूमि पर कार्यालय के पत्र क्रमांक INDLP020123007 दिनांक 01/03/2023 द्वारा आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग हेतु जारी अनुमति में नेट स्कीम एरिया 42174.82 वर्गमीटर अंकित है, किंतु स्वीकृति पत्र में रकबा 4.655 हेक्टेयर में से 4.217 उल्लेखित है, के संबंध में अभिमत/संशोधन चाहा गया है। अतः कार्यालय द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में "नेट स्कीम एरिया 4.217 के स्थान पर 42174.82 वर्गमीटर" पढ़ा जावे।"

3. प्रश्नाधीन भूमि के आवासीय व्यपवर्तन के संबंध में उपखण्ड अधिकारी कनाडिया, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) तथा उसके अंतर्गत बनाये मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के तहत संदर्भ क्रमांक 2205 0054 699 के क्रम में जारी पावती भाग–(दो) दिनांक 09/03/2023 की प्रति के साथ अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कनाडिया, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा भू–राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत नियम 13 अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 17/03/2023 की प्रति एवं शुल्क जमा संबंधी चालान यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (यू.आर.एन.) MPTCLR030320230001069 दिनांक 03/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है।